न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 58/2024 बउनवानी महेशचन्द गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग, निवासी ई–5 केशव नगर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/151

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
24.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 07.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*हल्का पटवार छाण मे वर्ष 2010 से 2024 तक रहे पटवारियो के नाम एवं उनकी चार्ज सूची, वर्ष 2010 के बाद कितनी नक्शा ट्रेस बदली गयी व किसके आदेश से बदली गयी की प्रमाणित प्रति एवं 2010 के बाद बदली गयी ट्रेसो की खसरा नम्बर 876 ग्राम गंगानगर के सभी उपखसरा की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक: भू0अ0/2024/3497 दिनांक 20.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2024 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 में चाही गयी सूचना कुल 48 पृष्ठो अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 3475 दिनांक 19.12.2024 से भिजवायी जा चुकी है। तहसीलदार खण्डार द्वारा उक्त सूचना देने मे विलम्ब होने का कारण सूचना 14 वर्ष पुरानी होना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 07.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 3475 दिनांक 19.12.2024 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अधिनियम की तय समय सीमा (30 दिवस) के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिशः ध्यान देकर अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण करवाया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनाई गई। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:03:10 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner